बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.
Register office:वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218
CIN: U63040BR1980SGC001486 web: www.bstdc.bih.nic.in, E-mail:contactbstdc@gmail.com

BSTDC

# नियम एवं शर्तें

1. परिमाण विपत्र के तकनीकी बीड के साथ पिछले तीन साल के अन्तर्गत निविदा कार्य की प्राक्कलित राशि का कम से कम 50% राशि के समरूप प्रकृति का किसी एक कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. निविदादाताओं को निविदा के तकनीकी प्रपत्र में अंकित की गई सूचनाओं से संबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. वांछित अग्रधन की राशि जो **NIT के कंडिका–15** के अनुरूप जमा कराया जाना अनिवार्य है।
4. परिमाण विपत्र के साथ वर्णित वित्तीय बीड कॉलम में ही निविदादाता के द्वारा निविदित दर को अंकों एवं अक्षरों में साफ–साफ अंकित किया जाना अनिवार्य है। लिखकर काटा हुआ या Overwriting पर संवेदक का बिना हस्ताक्षर वाला निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तद्नुसार जमानत की राशि भी घट या बढ़ सकती है।
6. निविदाकार निविदा डालने से पूर्व कार्य एवं कार्य से संबंधित स्थल की वस्तुस्थिति से भली–भांति अवगत हो कर निविदा में भाग लेंगे।
7. निविदाकार कार्य की पूर्ण जानकारी हेतु बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 पटना के अभियंत्रण शाखा कार्यालय में किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।
8. **सशर्त्त निविदा** स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. किसी या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 के पास सुरक्षित होगा। तदनुसार इससे संबंधित सूचना की माँग निविदाकार द्वारा नहीं की जायेंगी।
10. निविदादाताओं को निविदा कागजात के प्रत्येक पृष्ट पर अपना हस्ताक्षर करना एवं मुहर लगाना अनिवार्य होगा।
11. **परिमाण विपत्र** (**B.O.Q.**) का मूल्य एवं Bid Processing fees NIT के कंडिका–14 के अनुसार जमा कराया जाना अनिर्वाय होगा।
12. निविदा दर बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0 पटना के वित्तीय बीड प्रपत्र पर ही अंकित होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कागज/प्रपत्र पर अंकित दर मान्य नहीं होगा।
13. निविदादाता की अनुपस्थिति में जो अधिकृत प्रतिनिधि कार्य संचालन/पत्राचार करेगा उस प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें पूरा नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित हो, इससे संबंधित Power of attorney निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
14. श्रम संसाधन विभाग के पत्र BCWC/01/2008, दिनांक– 21.02.2008 के आलोक में कार्य के विपत्र से कार्य की लागत का 1% (एक प्रतिशत) की दर से कटौती कर ''बिहार भवन एवं अन्य सन्नि मार्ण कर्म कार कल्याण बोर्ड'' को जमा किया जायेगा।
15. निविदादाताओं को आवंटित कार्य से संबंधित सभी सामग्रीयों तथा आवश्यक यंत्र–संयत्र उपकरण आदि की व्यवस्था एवं इसका भंडारण स्वयं करनी होगी। निर्माण सामग्रीयों के यंत्र से संबंधित प्रमाण–पत्र का जिसमें यंत्र की विशिष्टि का स्पष्ट वर्णन हो, समर्पित करना होगा जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जाएगा।
16. जल संसाधन विभाग के पत्रांक– 50 दिनांक– 20.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा

के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान किया जाता है। तद् आलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्न प्रकार से जमा करा ली जायेगी:–

(क) परिमाणविपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

(ख) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

(ग) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

(घ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

17. सफल निविदादाता से कार्य संबंधी एकरारनामा सरकार के प्रपत्र एफ–2 पर सम्पन्न की जायेगी।
18. कार्य का Defect Liability का समय कार्य समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा एवं इस अवधि में किसी भी प्रकार की त्रुटि या मरम्मती का उत्तरदायित्व संवेदक के ऊपर होगा तथा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान किये इस प्रकार की त्रुटियों का निराकरण संवेदक को कराना अनिवार्य होगा। अगर संवेदक द्वारा इन त्रुटियों का निराकरण नहीं किया जाता है तो किसी अन्य माध्यम से इसे निराकरण करा ली जायेगी और इसके निराकरण में व्यय की गयी राशि को संवेदक के जमानत की राशि से भरपाई की जायेगी। पूरा या बचा हुआ जमानत की राशि Defect Liability Period की समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की तिथि से तीन साल के बाद लौटा दी जायेगी। फार्म एफ॰–2 के Clause No-16 कोई हद तक संशोधित समझा जायेगा।
19. वर्णित नियम एवं शर्त्ते एकरारनामा का भाग होगा।
20. निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰ द्वारा प्रदान की जायेगी। स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा। तद्नुसार इस प्रकार का कोई भी दावा अमान्य होगा।
21. निधि प्राप्त होने पर ही किए गए कार्य का भुगतान किया जायेगा और इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
22. सरकार के निदेशानुसार एकरारनामा प्रपत्र एफ॰–2 के Clause No-13 को विलोपित किया जाता है।
23. उपकरण के अधिष्ठापन में आवश्यक असैनिक/वांछित कार्य कार्यकारी एजेन्सी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।